

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

आदेश

ज्ञापांक :- / ह०रे०/स्था० (प्रतिनियुक्ति)- ०१/१७ , दिनांक :-

उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 557 दिनांक 17.02.17 के आलोक में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 397 दिनांक 30.03.17 द्वारा गठित काउन्सिलिंग समिति की दिनांक 06.04.17 को आहूत बैठक में प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने वाले सभी कर्मियों की सेवा संबंधी सूचनाओं का सत्यापन निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर किया गया। उक्त बैठक में बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम के प्रबंध निदेशक तथा बिहार राज्य वस्त्र निगम के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम/ भागलपुर सहकारिता सूत मिल एवं पंडौल को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, पंडौल बैठक में उपस्थित नहीं हुए। अतः बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम के 10 (दस) कर्मी एवं बिहार राज्य वस्त्र निगम के 3 (तीन) कर्मियों को काउन्सिलिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सामने कॉलम- 1 में अंकित कार्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करने का आदेश दिया जाता है :-

प्रशिक्षण हेतु कार्यालय का नाम एवं प्रभारी पदाधिकारी	क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पैतृक निगम / लोक उपक्रम का नाम
1	2	3	4
परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, रानीपोखर, वैशाली	1	श्री संजय कुमार दुबे, आदेशपाल	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम
	2	श्री तेज नारायण मिश्रा, आदेशपाल	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम
	3	श्री कैलाश मंडल, आदेशपाल	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम
	4	श्री अनिल कुमार सिंह, आदेशपाल	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम
	5	श्रीमती रमावती देवी, आदेशपाल	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम
	6	श्री चन्देश्वर यादव, पदचर	बिहार राज्य वस्त्र निगम
	7	श्री सुरेन्द्र प्रसाद राय, आदेशपाल	बिहार राज्य वस्त्र निगम
परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर	8	श्री शंभुनाथ झा, आदेशपाल	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम
	9	श्री रामचरित्र पासवान, आदेशपाल	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम
	10	श्री मुनीब यादव, आदेशपाल	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम
	11	श्री प्यारेलाल मिश्रा, आदेशपाल	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम
	12	श्री सत्यनारायण महतो, आदेशपाल	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम
	13	श्री विजय कुमार ठाकुर, आदेशपाल	बिहार राज्य वस्त्र निगम

2. इन कर्मियों का प्रशिक्षण दिनांक 1.8.17 से अगले छः माह तक का होगा।
3. प्रशिक्षण जिस कार्यालय में होगा, वहाँ उन्हें उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
4. प्रशिक्षण अवधि के लिए किसी भी प्रकार का वेतन/भत्ता/व्यय प्रतिपूर्ति आदि देय नहीं होगा।
5. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात इन कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के अधीनस्थ कार्यालयों में कीटपालक के पद पर की जाएगी।

ह0/-
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-/ ह0रे0/स्था0 (प्रतिनियुक्ति)- 01/17 , दिनांक :-/
प्रतिलिपि :- परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, रानीपोखर, वैशाली/ मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि इन कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। छः माह के प्रशिक्षणोपरान्त सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दिया जाय।

ह0/-
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-/ ह0रे0/स्था0 (प्रतिनियुक्ति)- 01/17 , दिनांक :-/
प्रतिलिपि :- उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम/बिहार राज्य वस्त्र निगम को निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति सभी कर्मियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय/नोटिस बोर्ड/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम
बिहार, पटना।